कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांकः– दिनांकः– 11.01.2022

–ःविज्ञप्तिः–

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ7 (136/2)/रालसा /संस्था–संविदा सेवा/2021/644 दिनांक 07.12.2021 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक की सेवाएं राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08 (1) विधि–2/विरस (64)/2015 पार्ट/114 दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.03.2022 तक अथवा रिक्त पदो के नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो की कालावधि के लिए सेवाएं लिए जाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

शर्तेः–

1. उक्त पदो पर सेवाओ के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. ऐसे सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
6. सेवानिवृत कार्मिक को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान जैसे– माईक्रोसोफ्ट एक्सल, वर्ड, ई–मेल एवं हिन्दी व अग्रेजी टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक होगा एवं कार्य में दक्षता नहीं पाये जाने पर उन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
7. चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारी को कार्य हेतु सीकर जिले के किसी भी तालुका मुख्यालय पर आवश्यकता अनुसार भेजा जा सकेगा।

इच्छुक सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक कार्मिकों को विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगें।

आवेदन प्रक्रियाः–

विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र विहित प्रारूप में पूर्णरूप से भरा होना चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत ओदश की स्वप्रमाणित प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी) की स्वप्रमाणित प्रति
3. पी.पी.ओ की स्वप्रमाणित प्रति

11/01/2022

आयुः–

सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक विज्ञप्ति तिथि को 65 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए।

अंतिम तिथिः–

आवेदक संपूर्ण भरा हुआ आवेदन–पत्र दिनांक 18 जनवरी 2022 तक इस कार्यालय में कार्यालय समय तक व्यक्तिशः/साधारण/रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 18 जनवरी 2022 को कार्यालय समय पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने का पताः–

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0) पिन कोड़ः–332001

आवेदन शुल्कः–

उक्त रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदक द्वारा किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं दिया जावें। यह पूर्णतया निःशुल्क है।

संलग्न उपरोक्तानुसारः–

1. आवेदन–पत्र प्रारूप
2. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का प्रारूप

–sd–

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)

क्रमांकः– 103 दिनांकः– 11-01-22

1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
4. सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई–मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सीकर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

11/01/2022

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर (राज0)

॥ राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के संबंध में पुनर्नियुक्ति सेवाए लेने के लिए आवेदन–पत्र ॥

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. पूर्ण पता : ....
....
5. आयु दिनांक (दिनांक 18.01.2022) : ....वर्ष................माह.............दिन.....
6. अर्हताएं : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....
....
....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन : ....
(रनिंग पे बेण्ड़वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल)
(एलपीसी संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि : ....
(पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान : ....
(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
(संलग्नानुसार है)

<u>सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध</u>

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 01 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती...पुत्र/पत्नी....................जो सेवानिवृत्ति से पूर्व..पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती...की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती..........................मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल).. आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.................................. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती.................................. के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील